भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3254

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम कर्मचारियों को सेवा संबंधी लाभ

†3254. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को सेवा लाभों से वंचित कर दिया गया है और उनके उपनियम जून 2024 से निलंबित कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बावजूद अनियमित वेतन, असुरक्षा की नौकरी और महीनों तक महंगाई भत्ते में वृद्धि का भुगतान न होने का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों के लिए लाभों की बहाली, वेतन और महंगाई भत्ते का समय पर भुगतान और एक स्पष्ट सेवा नीति सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) : "जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय है, इसलिए देश के सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी), जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर सतत परिचर्या दृष्टिकोण के साथ प्रभावी, किफायती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवा परिचर्या शामिल है, प्रदान करने के उद्देश्य से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के पुनरुद्धार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एनएचएम के अंतर्गत कार्य पर रखे गए कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तें, सेवा उपविधि, जो सेवाओं और वित्तीय मामलों दोनों से संबंधित हैं, द्वारा विनियमित होते हैं। सभी एनएचएम कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

एनएचएम भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक परिचर्या सुविधाकेंद्रों (जिला अस्पतालों और उससे नीचे) में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करके नियमित रूप से मानव संसाधन की पूर्ति करता है। एनएचएम के अंतर्गत कार्यशील सभी मानव संसाधन (एचआर) बजट का 5% वेतन वृद्धि के रूप में स्वीकृत किया जाता है और कुल मानव संसाधन बजट का 3% मानव संसाधन युक्तिकरण के लिए अनुशंसित किया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य को वास्तविक वेतन वृद्धि तय करने का विवेकाधिकार होता है। मानव संसाधन युक्तिकरण प्रक्रिया और इसके सिद्धांत, वेतन वृद्धि सहित, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी शासी निकाय (एसएचएस जीबी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। एनएचएम कर्मचारियों के लिए 13.36% की दर से 1 अप्रैल, 2015 को/उसके बाद 15000 प्रति माह ईपीएफ (नियोक्ता का अंशदान) में भी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, ह्यूमन रिर्सोसेज ऑफ हेल्थ (एचआरएच) के दिशानिर्देश सार्वजनिक रूप से अधोलिखित साइट पर उपलब्ध हैं:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2022-04/Final%20Guideline%20on%20Human%20Resources%20for%20Health%20for%20NHM.pdf

******